

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-121 / 2019 /

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मंजु खीचड़ पत्नि श्री अजीत, नर्स-2, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से स्कूल व्याख्याता की परीक्षा वर्ष 2018-19 की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

- 1 राज्य सेवा मे कोई व्यतधान नहीं होगा।
- 2 राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 3 परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेगें।
- 4 परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- 5 परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- 6 नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- 7 राज्य हित मे उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

-sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एम-121 / 2019 / 332

दिनांक:- 12/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. सम्बन्धित कार्मिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर